इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 437] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2012—आश्विन 26, शक 1934

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2012

क्र. डी-15-06-2011-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-06-2011-चौदह-3, भोपाल दिनांक 2 फरवरी 2011 से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग/प्रसंस्करणकर्ता को मध्यप्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति 2008 एवं मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2010 के प्रावधानों के अनुरूप विनिर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों के अधीन मण्डी फीस से भुगतान में छूट दी गई है.

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. अधिसूचना की "**शर्त क्रमांक-8**" में शब्द . . . ."**पुष्टि मध्यप्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं मध्यप्रदेश वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करें.**"

के स्थान पर,

"**पुष्टि मध्यप्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग और या मध्यप्रदेश वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करें.**"

को प्रतिस्थापित किया जावे.

2. अधिसूचना की "**शर्त क्रमांक-(4) के पूर्व एवं शर्त क्रमांक (3) के पश्चात**" निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् ;

"**शर्त क्रमांक**-(3.1)—पूर्व स्थापित वृहद एवं मध्यम, खाद्य प्रसंस्करण, विनिर्माता इकाईयों द्वारा क्षमता विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन पर यदि पूर्व में किए गए स्थायी पूंजी निवेश के 30 प्रतिशत अथवा

रुपये पचास करोड़, जो भी कम हो, का स्थायी पूंजी निवेश किया जाता है तो ऐसी इकाइयों को अतिरिक्त क्षमता विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन से संबंधित पूंजी निवेश पर नई इकाइयों के समान उपरोक्त वर्णित शर्त (2) एवं (3) के अध्ययधीन मंडी फीस से छूट की पात्रता होगी. इस प्रकार स्थापित लघु खाद्य प्रसंस्करण, विनिर्माता इकाइयों द्वारा पूर्व में किये स्थायी पूंजी निवेश के न्यूनतम 50 प्रतिशत के तुल्य अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश (जो रुपये पच्चीस लाख से कम नहीं हो) किए जाने पर उन्हें भी नई इकाइयों के समान उपरोक्त वर्णित शर्त (2) एवं (3) के अध्याधीन मंडी फीस से छूट की पात्रता होगी.

''**शर्त क्रमांक**—(3.2)—शर्त (3.1) का लाभ पूर्व स्थापित खाद्य प्रसंस्करण, विनिर्माता इकाइयों द्वारा क्षमता विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन करने तथा अपनी विस्तार पूर्व पंजीकृत क्षमता से अधिक उत्पादन करने पर ही प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं.

''**शर्त क्रमांक**—(3.3) विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन में खाद्य प्रसंस्करण, विनिर्माता इकाइयों द्वारा किए गये निवेश की गणना कर मध्यप्रदेश उद्योग सवंर्धन नीति 2010 की कंडिका 19.4 में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार इस अधिसूचना की शर्त (8) में अधिकृत विभागों द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा.

3. अधिसूचना की ''**शर्त क्रमांक—(11)**'' को विलोपित कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे. अर्थात्;

''**शर्त क्रमांक**—(11)—अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (2) के अध्याधीन रहते हुए 31 अक्टूबर 2015 कालावधि तक मण्डी क्षेत्र में स्थापित की गई खाद्य प्रसंस्करण इकाई को पहली बार कच्चे माल क्रय करने के दिनांक से या कंडिका 14 अनुसार पात्रता जारी किये जाने की दिनांक से, जो भी बाद में हो, से अधिकतम तीन वर्ष तक या कंडिका क्रमांक—(10) में यथा उल्लेखित अधिकतम राशि की सीमा तक, उनमें जो भी पूर्वतर हो, मण्डी फीस के भुगतान से छूट प्राप्त होगी.

यह अधिसूचना मूल अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक 2 फरवरी 2011 से प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2012

क्र. डी-15-02-2010-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 18 अक्टूबर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 18th October 2012

No. D-15-06-2011-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), State Government, as provided in the Madhya Pradesh Food Processing Policy 2008 and Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2010, have exempted Food Processing Industry/Processor from payment of market fees payable under the said Act as per the terms and conditions specified in this department's notification No. D-15-06-2011-XIV-3, dated 2nd February 2011.

In exercise of the powers conferred by Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby makes the following amendment in this Department's said

notification, namely :—

1. In the notification "**Condition No. 8**'' the words. **"Obtained from the Madhya Pradesh Horticulture & Food Processing Department, Madhya Pradesh Commerce, Industries and Employment department.",**

Shall be substituted by,

"Obtained from the Madhya Pradesh Horticulture & Food Processing Department and or Madhya Pradesh Commerce, Industries and Employment Department,''

2. In the notification "**before condition number-(4) and after condition number (3)**'' following shall be substituted, that is;

"Condition Number (3.1) :—Established large and medium food processing, manufacturing units, which invest 30 percent of existing fixed capital investment of Rs Fifty crores (whichever is less) on expansion/diversification/technical-up gradation, will be eligible for mandi fee exemption as per condition (2) and (3) above. Similarly, established small scale food processing, manufacturing units, which invest 50 percent of existing fixed capital investment made by them (not being less than Rs Twenty Five lakh) will also be eligible for mandi fee exemption as per condition (2) and (3) above.

Condition Number (3.2):—Benefit under condition (3.1) would be available to the food processing, manufacturing unit, only on production being more than previous installed capacity and not otherwise.

Condition Number (3.3):—As per the norms detailed under clause 19.4 of the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy-2010, Departments authorized in condition (8) of this notification shall issue a certificate, for determining the investment made in expansion/ diversification/ technical-up gradation, by the food processing, manufacturing unit.''

3. In the notification **"condition number-(11)"** shall be deleted and substituted by the following, that is;

"Condition Number-(11) : Subject to sub-section (2) of Section 69 of the Act, the food processing unit established till 31st October 2015 in the market area shall be entitled for exemption from market fee, from the first date of purchase of notified agriculture produce, or release of eligibility certificate as per clause 14 hereunder, whichever is later, for a maximum period of three years subject to capping as per conditions of clause 10 here in above. ''

This notification shall come into force w.e.f. 02 February, 2011 i.e. the date of publication of the main notification in the state gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.